उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-3/2025/**ऑडिट-2-04/दस-2025 -350(7)/2013**
लखनऊ; दिनांक: 20 मई, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम-5 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">2-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>भर्ती का स्रोत</td><td>5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-
(1) लेखा परीक्षक-
(एक) नब्बे प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) दस प्रतिशत निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, और जिनका मैट्रिक्स लेवल-5(रू0 29200-92300) के नीचे न हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।</td><td>5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-
(1) लेखा परीक्षक-
(एक) नब्बे प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) दस प्रतिशत निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा इस संवर्ग में चयन हेतु विकल्प दिया हो, में से, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।</td></tr>
</table>

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	**(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक -** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ लेखा परीक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

GOVERNMEMT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (AUDIT) SECTION-2

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Audit-2-04/दस-2025-350(7)2013, dated May 20, 2025 :

NOTIFICATION
miscellaneous
No. 3/2025/Audit-2-04/दस-2025-350(7)2013
Lucknow; Dated: 20-May-2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Utter Pradesh Local Fund Audit Subordinate service rules, 2017:-

THE UTTAR PRADESH LOCAL FUND AUDIT SUBORDINATE SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commence ment</td><td colspan="2">1.(1) these rules may be called The Uttar Pradesh Local Fund Audit Subordinate Service (First Amendment) Rules, 2025. (2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Substitutio n of rule 5</td><td colspan="2">2- In the Uttar Pradesh Local Fund Audit Subordinate Service rules, 2017, for existing rule 5 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Source of recruitment</td><td>Column 1
Existing rule

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
(1) Auditor-
(i)Ninety percent by direct recruitment through the Commission.
(ii)Ten percent by promotion through the selection Committee from amongst such substantively appointed persons of the ministerial</td><td>Column 2
Rule as hereby substituted

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
(1) Auditor-
(i) Ninety percent by direct recruitment through the Commission.
(ii)Ten percent by promotion through the selection Committee from amongst such substantively appointed junior Assistant and Senior Assistant</td></tr>
</table>

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	cadre of the offices under the administrative control of the Director who have completed five years substantive services in the ministerial cadre on the first day of the year of recruitment and whose scale of pay is not below matrix level-5 (Rs. 29200-92300) **(2) Senior Auditor-** By promotion through the selection committee from amongst substantively appointed Auditors who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment. **(3)Assistant Audit Officer-** By promotion through the selection committee from amongst substantively appointed Senior Auditors.	of the ministerial cadre of the offices under the administrative control of the Director, who have completed minimum five years service on the first day of the recruitment and opted for selection in this cadre. **(2) Senior Auditor-** By promotion through the selection committee from amongst substantively appointed Auditors, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. **(3)Assistant Audit Officer-** By promotion through the selection committee from amongst substantively appointed Senior Auditors who have completed five years satisfactory service on the first day of the year of recruitment.

By order,

Deepak Kumar
Additional chief secretary

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।